राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(244/94)/अलेसे –III/५५७ दिनांक :– 20.07.2017

आदेश संख्या: 123 /2017–18

श्री इन्द्र लाल सांखला, (लिंक नं0 4440) निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर को तत्कालीन कार्यालय उपकोष, मारवाड़ जक्शन, पाली में पदस्थापन के दौरान सामाजिक सुरक्षा के 31 पेंशनर्स की पेंशन स्वीकृति अवधि समाप्त होने के बाद भी पेंशनर्स के अवधिपार पेंशन राशि के बिल तैयार कर कुल राशि 2,30,400/– रूपये का भुगतान कर राजकोष को सदोष कारित करने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अभियोग संख्या 226/2011 अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी), 13(2) एवं भारतीय दण्ड सहिता की धारा 201 दर्ज होने के कारण दिनांक 24.01.2014 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर निदेशालय के आदेश कमांक 12049–60 दिनांक 24.01.2014 के द्वारा तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

श्री इन्द्र लाल सांखला, निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा कमांक प.6(23)प्रसु/अनु–3/99 दिनांक 12.01.2011 के कम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री इन्द्र लाल सांखला, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर में किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(244/94)/अलेसे –III/५५७ दिनांक :– 20.07.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र कमांक प.2(3) वित्त/राजस्व /2014 दिनांक 07.06.2017 के कम में।
2. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
5. श्री इन्द्र लाल सांखला, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं0 4440) मुख्यालय कोषालय, सचिवालय, जयपुर।
6. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)।
7. निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)